



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 33 24 भाद्र 1943 (श०)
पटना, बुधवार, _____
15 सितम्बर 2021 (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
	पृष्ठ	
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-15	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-विज्ञापन
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
		पुरक
		पुरक-क
		16-17
		18-22

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

4 सितम्बर 2021

सं० स्टे०/झा०/वि०-337/2007-6169/सी०

- बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-72 की उप धारा-2 के आलोक में श्री ह्रींगनाथ द्विवेदी, उप मत्स्य निदेशक को दिनांक 30.03.2006 को अंतिम रूप से झारखंड राज्य आवंटित की गयी।
- कालान्तर में पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु समर्पित संयुक्त आवेदन के आलोक में श्री ह्रींगनाथ द्विवेदी, उप मत्स्य निदेशक एवं श्री आशीष कुमार, उप मत्स्य निदेशक को गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना की अधिसूचना सह पठित ज्ञापांक-7239 दिनांक-29.06.2007 के माध्यम से कमशः झारखंड से बिहार एवं बिहार से झारखंड स्थानांतरित किया गया।
- यद्यपि श्री आशीष कुमार द्वारा विभागीय अधिसूचना का अनुपालन किया गया, श्री ह्रींगनाथ द्विवेदी द्वारा विभागीय अधिसूचना का अनुपालन नहीं करते हुए "पारस्परिक स्थानांतरण में वरीयता का दावा मान्य नहीं होने" को आधार बनाकर दायर समादेश याचिका-4075/2007 को माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-08.03.2017 को खारिज कर दिया गया।
- विषयांकित समादेश याचिका के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, राँची में दायर LPA No. 146/2017 में बिहार राज्य के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत श्री आशीष कुमार द्वारा स्थानांतरण के क्रम में झारखंड में योगदान समर्पित करने के परिप्रेक्ष्य में श्री ह्रींगनाथ द्विवेदी की सेवा झारखंड राज्य में बनाये रखने के दावा को विधि-सम्मत नहीं रहने का परामर्श दिया गया। इस क्रम में वर्ष-2007 के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण आदेश का पालन झारखंड सरकार द्वारा नहीं किया गया एवं श्री द्विवेदी की सेवा झारखंड राज्य में रखने की सहमति प्रदान की गई। ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाई को दृष्टिपथ रख राज्य सरकार द्वारा श्री द्विवेदी को झारखंड राज्य में बने रहने के बिन्दु पर विचार किया गया।
- प्रश्नगत मामले में श्री ह्रींगनाथ द्विवेदी द्वारा गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार सरकार की अधिसूचना-सह-पठित ज्ञापांक-7239 दिनांक-29.06.2007 का अनुपालन नहीं किया जाना अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारी आचरण का द्योतक है एवं सरकारी सेवक के आचरण के निर्धारित मापदंड के विपरीत है। उनके द्वारा पूरे प्रकरण के लिए खेद प्रकट करते हुए अपने सेवा काल की शेष अवधि में झारखंड राज्य में बने रहने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया है।
- यद्यपि कि आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण के उपरान्त श्री द्विवेदी द्वारा झारखंड राज्य में बनाये रखने का दावा करना अनुचित एवं अवांछनीय है तथा ऐसे सदृश्य मामलों में पूर्वोद्धाहरण नहीं माना जायेगा, फिर भी माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा LPA No. 146/2017 में दिनांक-29.01.2020 को पारित आदेश के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखंड, राँची एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री ह्रींगनाथ द्विवेदी, उप मत्स्य निदेशक की सेवा झारखंड राज्य में बने रहने के बिन्दु पर सहमति प्रदान की गई। तदालोक में निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं०-14/279/2002-SR(S) दिनांक 15.09.2004 के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-3479 दिनांक 21.05.2005 की कंडिका-2 में अंकित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-7239 दिनांक 29.06.2007 को इस हद तक संशोधित करते हुए पारस्परिक आधार पर श्री ह्रींगनाथ द्विवेदी, उप मत्स्य निदेशक का बिहार राज्य में स्थानान्तरण रद्द किया जाता है। इसमें सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से,
अनिमेष पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

9 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) पू०च०-01/2016-519909--श्री उमेश कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध ग्राम पंचायत निर्वाचन नियमावली-2006 के नियम-8(1)(4) के आलोक में पंचायत निर्वाचन 2016 के लिए पदवार आरक्षण निर्धारित करने हेतु प्रपत्र-1 में त्रुटिपूर्ण आकड़ें प्रकाशित करने, कार्यालय कक्ष में निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं रहने एवं अपने आवास से ही कार्यालय कार्य का संचालन करने, कार्यालय में कार्यरत लिपिकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं जाँच नहीं करने, आर०टी०पी०एस० के तहत 153 आवेदन पत्रों का ससमय निष्पादन नहीं करने, प्रखंड कार्यालय में संधारित रोकड़ बही का अद्ययतन नहीं करने एवं जिला समन्वय समिति की बैठक में भाग नहीं लेने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-44 दिनांक-25.02.2016 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री सिंह के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज चुनाव 2016 के लिए कोटिवार आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए वार्डों में SC/ ST/ OBC एवं Other की जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करते हुए प्रपत्र-1 भेजा जाना था जिसकी अंतिम समय सीमा दिनांक 11.05.2015 निर्धारित थी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) को अवगत कराया गया है।

श्री सिंह के विरूद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षापरंत यह पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा उनके विरूद्ध धारित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ ठोस साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरंत श्री उमेश कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौड़ाबौराम, दरभंगा को असंचयात्मक प्रभाव से 11 दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने तथा निंदन का दंड' ' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री उमेश कुमार सिंह के चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

11 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) वैशाली-04/2015-522056--श्री विनोद कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर, वैशाली के विरूद्ध लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों को ससमय निष्पादित नहीं करने, गबन के आरोपी नाजिर श्री जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध निदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राघोपुर के अन्तर्गत बी०एल०ओ० से जांचोपरंत प्रपत्र 6 एवं प्रपत्र 8 ससमय उपलब्ध नहीं कराने, मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि हटाने हेतु मतदाताओं को जारी की गई नोटिस का तामिला प्रतिवेदन ससमय नहीं उपलब्ध कराने, पैक्स चुनाव 2014 जैसी महत्वपूर्ण कार्य के अवसर पर चुनाव संबंधी याचित प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराने आदि के आरोप पर जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-316 दिनांक 06.04.2015 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री विनोद कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उनके योगदान से पूर्व आर०टी०पी०एस० तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित कार्य नगण्य मात्रा में होते थे एवं करीब 1700 आवेदन लंबित थे। योगदान के उपरांत पूर्व के लंबित काल बाधित आवेदनों सहित सभी आवेदनों का ससमय निपटारा करवाया गया। राघोपुर प्रखंड के पूर्व नाजिर श्री जितेन्द्र कुमार पर पूर्व में राघोपुर थाना कांड संख्या 24/15 के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी, वैशाली को भी समन्वय समिति की बैठक में दी जा चुकी थी। राघोपुर विधान सभा के अन्तर्गत प्राप्त प्रपत्र 6 एवं 8 ससमय बी०एल०ओ० से जांच करवाकर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर के कार्यालय लिपिक द्वारा राघोपुर प्रखंड से प्राप्त प्रपत्र को ससमय जिला को उपलब्ध नहीं कराया गया। राघोपुर विधान सभा क्षेत्र के मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि हटाने हेतु मतदाताओं को जारी नोटिस का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन को प्रखंड के द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों से अभिलेखबद्ध कर अनुमंडल कार्यालय को उपस्थापित करा दिया गया था।

श्री कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा किया गया। समीक्षापरंत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा प्रखंड मुख्यालय से लगातार बिना अनुमति अनुपस्थित रहने, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध विषयों का समय पर निष्पादन नहीं करने, सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतते हुए ससमय कार्यों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने, उच्चाधिकारी एवं नियंत्री पदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने, उनके सरकारी पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट कर्तव्यों के प्रतिकूल है। उनके द्वारा धारित आरोपों के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के साथ

कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री विनोद कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर, वैशाली सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, विक्रम, पटना को असंचयात्मक प्रभाव से 'दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने तथा निदंन' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री विनोद कुमार के चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) मु०-01/2019-522061--श्री सत्येन्द्र कुमार यादव, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के विपरीत 05 अयोग्य लाभकों जिनका नाम प्राथमिकता सूची में नहीं रहने के बावजूद भी आवास मुहैया कराये जाने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक- 1424 दिनांक- 17.12.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सत्येन्द्र कुमार यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री यादव के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभकों के चयन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में ग्रामीण आवास सहायक की मुख्य भूमिका होती है। जिसमें लाभकों का घर सत्यापन, जियो टैग एवं उनका आवास साफ्ट पर निबंधन के लिए वांछित कागजात सभी लाभकों द्वारा ग्रामीण आवास सहायक को हस्तगत कराया जाता है। तत्पश्चात ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी रैंडम बेसिस से सभी पंचायतों में हो रहे कार्य का निरीक्षण करते हैं, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी को 20 प्रतिशत लाभकों का सत्यापन करना होता है।

आरोपित मामले के संबंध में ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण पर्यवेक्षक के द्वारा तैयार की गई प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रदान की गयी थी, उक्त लाभकों का ऑडर सीट तैयार कर भुगतान प्रक्रिया में लेखा द्वारा इन लाभकों के नाम पर राशि अंतरण किया गया।

जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री यादव के द्वारा उनके विरूद्ध धारित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ कोई ठोस साक्ष्य नहीं संलग्न किया गया है, जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री सत्येन्द्र कुमार यादव, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौकही, मधुबनी को असंचयात्मक प्रभाव से 'एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सत्येन्द्र कुमार यादव के चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) पू०च०-01/2017-522070--श्री रितेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध इंदिरा आवास को पूर्ण कराने के मामले में घोर लापरवाही बरतने तथा सरकार के निदेश का उल्लंघन करने एवं अपने उक्त कृत्य के द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम-3 (i) (ii) (iii) का उल्लंघन करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-44 दिनांक 04.03.2017 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री रितेश कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री प्रसाद के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड पिपराकोठी के अनुत्तर्गत वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लाभकों का पंजीकरण दिये गए लक्ष्य से अधिक होने के कारण पूर्णता का सापेक्षिक प्रतिशत कम है। अधिक पंजीकृत सभी लाभकों को विलोपित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार का स्पष्टीकरण भ्रामक एवं तथ्यहीन है, उनका आचरण सरकारी पदाधिकारी के प्रतिकूल है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री रितेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिसुआ, नवादा को 'चेतावनी का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री रितेश कुमार के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

11 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) पटना-05/2018-522085--श्री अजीत कुमार प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन, पटना के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता, कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारित, वरीय पदाधिकारी एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना तथा अनुशासनहीनता के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1520 दिनांक 18.09.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री अजीत कुमार प्रसाद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री प्रसाद के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 28.03.2018 को बिपार्ड में प्रशिक्षणों परांत इनके इलाजगत रहने के कारण वे जिला पदाधिकारी, पटना के समक्ष अपना योगदान समर्पित करने में असमर्थ रहे हैं।

जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री प्रसाद के द्वारा उनके विरूद्ध धारित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ कोई ठोस साक्ष्य नहीं संलग्न किया गया है। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक एवं स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री अजीत कुमार प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन, पटना सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा, सीतामढ़ी को 'चेतावनी का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री अजीत कुमार प्रसाद के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

11 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पूर्णियां) कटिहार-01/2019-522090--सुश्री नूतन कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुर्सेला, कटिहार के विरूद्ध लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना के तहत लक्ष्य के अनुपात में काफी कम संख्या में शौचालय पूर्ण करने व प्रोत्साहन राशि का भुगतान लंबित रखने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत लक्ष्य के अनुपात में काफी कम संख्या में आवास का पूर्ण करवाने एवं भुगतान लंबित रखने, उक्त योजनाओं के समीक्षात्मक बैठक में प्रायः भाग नहीं लेने, लोकसभा आम निर्वाचन-2019 की तैयारी एवं वी०सी० से अनुपस्थित रहने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-932 दिनांक- 16.03.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर सुश्री नूतन कुमारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। सुश्री नूतन कुमारी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात प्रखंड के विभिन्न विभागीय कार्यों की स्थिति बहुत ही दयनीय एवं असंतोषप्रद था, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत कर प्रखंड के सभी पर्यवेक्षकीय एवं कर्मचारियों की बैठक आहुत कर सघन समीक्षा की और विभागीय कार्यों में संतोषप्रद प्रगति लाने के लिए कठिन प्रयास किया। साथ ही लाभान्वितों के बीच भी स्थल पर जाकर दिए गए निदेशों के आलोक में काफी जागरूक करने का प्रयास किया। चौपाल आदि के माध्यम से भी स्थल पर पहुँचकर जागरूक करने तथा योजनाओं में प्रगति लाने हेतु कठिनतम प्रयास किया गया। तत्पश्चात इस प्रखंड कुर्सेला के विभागीय कार्यों में आशातीत प्रगति हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोढ़ा के अवकाश में चले जाने के फलस्वरूप उनके कार्यों की प्रगति से संतुष्ट होकर ही जिला पदाधिकारी ने उन्हें उनके कार्यों के अतिरिक्त कोढ़ा प्रखंड का भी प्रभार दिया। तदनुसार आदेश के अनुपालनार्थ कोढ़ा प्रखंड का भी प्रभार ग्रहण कर कार्य सम्पादन करना प्रारंभ किया और इस प्रखंड के कार्यों में भी काफी प्रगति लाने का भरसक प्रयास किया गया।

जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि सुश्री कुमारी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान इत्यादि में लक्ष्य के अनुरूप कार्यों का निष्पादन नहीं किया गया है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत सुश्री नूतन कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुर्सेला, कटिहार सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, खरीक, भागलपुर को असंचयात्मक प्रभाव से 'एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने तथा निंदन का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि सुश्री नूतन कुमारी के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (विविध) पटना-02/2020-522103--श्री सतीश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा, पटना के विरूद्ध अपने कर्तव्य में लापरवाही, शिथिलता एवं उदासीनता के फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण पत्र निर्गत करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-391 दिनांक 09.03.2020 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सतीश कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 28.01.2020 को नाजरथ अस्पताल में आयोजित होनेवाले माँ मरियम मेला (जिसमें एक से डेढ़ लाख लोगों की भीड़ एकत्रित होती है) की विधि व्यवस्था की जाँच हेतु वे नाजरथ अस्पताल में थे ।

वहाँ से पुनः संध्या समय में प्रखंड कार्यालय पहुँचा। संध्या समय में प्रखंड कार्यालय पहुँचने पर वे निर्वाचन कार्यालय गये। निर्वाचन कार्यालय में बिजली कटी हुई थी और रोशनी की कमी के कारण पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। अतः कुछ पत्रों पर हस्ताक्षर के पश्चात वे बाहर निकलने के लिए खड़ा हुए उसी समय उनके सामने संबंधित पत्र (विवादास्पद) हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित किया गया। चूँकि इसके पूर्व ही दिनांक 18.01.2020 को संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को उससे संबंधित पत्र को प्रेषित किया गया था अतः विषय को देखते हुए वे पूर्णरूपेण आश्वस्त थे कि पत्र में कोई विवादास्पद एवं संवेदनशील बातों का जिक्र नहीं किया गया होगा ।

जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा उनके धारित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ कोई ठोस साक्ष्य नहीं संलग्न किया गया है जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है ।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री सतीश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा, पटना सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण को असंचयात्मक प्रभाव से 'एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने तथा निंदन का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सतीश कुमार के चरित्र पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पूर्णिमां)-01/2020-522110--श्री रघुनंदन आनन्द, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर, पूर्णिमां के विरूद्ध लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने में उदासीनता, लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारी का आदेश का उल्लंघन तथा सात निश्चय योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में शिथिलता बरतने एवं उच्चाधिकारी के निदेश का अवहेलना करने का आरोप जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 148 दिनांक- 18.01.2020 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त है। श्री सिंह के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अमौर प्रखंड में दिनांक 06.03.2019 को योगदान दिये हैं, योगदान करने के समय अमौर प्रखंड का प्रगति काफी कम था । प्रगति लाने के लिये स्वेच्छाग्राही/पंचायत सचिव/ग्रामीण आवास सहायक/पंचायत रोजगार सेवक/जीविका एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठक कर कार्य में प्रगति लाने हेतु प्रयास किया गया ।

आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री आनंद के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रयास नहीं किया गया । यह उनके द्वारा उदासीनता बरतने का परिचायक है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री रघुनंदन आनन्द, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर, पूर्णिमां को 'भविष्य के लिये सचेष्ट किया जाता है ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

27 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (म०) न०-03/2016-542820--श्री राधा रमण मुरारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकबरपुर, नवादा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 1466 दिनांक 31.08.2016

के माध्यम से प्राप्त आरोप पत्र में श्री मुरारी के द्वारा पंचायत आम चुनाव 2016 के अवसर पर निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का आरोप धारित है।

उक्त आरोप पर श्री मुरारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री मुरारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त आरोप की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री मुरारी के द्वारा पंचायत आम चुनाव 2016 के अवसर पर निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी जिसके फलस्वरूप पंचायत समिति प्रा0नि0क्षेत्र सं0-3,4,14,15,18,19 एवं 26,27 में पुनर्मतदान कराना पड़ा। यह लोक सेवकों के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री राधा रमण मुरारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकबरपुर, नवादा सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली के विरुद्ध चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री मुरारी के चारित्री/सेवापुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

27 अगस्त 2021

सं0 ग्रा0वि0-14 (तिरहुत) मु0-06/2018-542846--श्री दीपक राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरौल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध रोकड़पंजी के निरीक्षण में पाये गये अनियमितता पर दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-351 दिनांक 10.04.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री राम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री राम के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 08.05.2016 को मो0 28628401.00 रुपये अग्रिम रोकड़वी में अंकित था जिसके विरुद्ध अभिश्रव एवं नगद राशि से समायोजित करते हुए दिनांक 06.07.2016 को 4737401.00 रुपये मात्र अग्रिम के रूप में रह गया इस प्रकार 23891000.00 रुपया का समायोजन कर लिया गया।

शेष राशि 4737401.00 रुपये समायोजन हेतु संबंधित पंचायत सचिवों/अन्य को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत करने के उपरांत श्री दरोगा ठाकुर लिपिक के द्वारा मो0 30000 श्री अवधेश कुमार सिंह, सेवा निवृत्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा 12750.00 रुपये, श्री हीरालाल राय, पंचायत सचिव 33275.00, श्री मनोज कुमार, पंचायत सचिव के द्वारा 104500.00 रुपये, श्री गिरीजा प्रसाद राय, पंचायत सचिव के द्वारा 129486.00 रुपये, श्री नवल किशोर सिंह, पंचायत सचिव के द्वारा 148000.00 रुपये, श्री अर्जुन प्रसाद राय, पंचायत सचिव के द्वारा 200000.00 रुपये प्रखंड नजारात में जमा किया गया श्री सुनील कुमार पेंटर के द्वारा 11000.00 रुपये, यादव टेंट हाउस 117600, चन्दन स्वीट्स 40,000.00, एस0के0 साउंड 3000.00, भगवती पेट्रोल पम्प 142036 रुपये का अभिश्रव से समायोजित किया गया।

श्री राम के विरुद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री राम के द्वारा वित्तीय मामलों में उच्चाधिकारी के आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किया गया, जो उनकी घोर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री दीपक राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरौल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए असंचयात्मक प्रभाव से १० वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने तथा निंदन का दंड११ अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री दीपक राम के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

27 अगस्त 2021

सं0 ग्रा0वि0-14 (सा0) सि0-01/2020-542866--श्री लालबाबु पासवान, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरौली, सिवान, सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण के विरुद्ध जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-143-II/पंचायत दिनांक 27.01.2020 से प्राप्त आरोप पत्र में यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना के एल.पी.नं.-341/2018 में दिये गये आदेश के आलोक में श्री ओम प्रकाश राम, पंचायत सचिव, दरौली को बकाया वित्तीय उन्नयन का लाभ भुगतान नहीं कर श्री राम के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर अंकित करके नव पदस्थापन प्रखंड में भेज दिया गया। श्री पासवान के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की भी परवाह नहीं की गई एवं वित्तीय काम-काज में मनमानी की गयी

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री लालबाबु पासवान से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री पासवान के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पंचायत सचिव, श्री ओम प्रकाश राम के रूपांतरित वित्तीय उन्नयन के बकाया भुगतान हेतु दिनांक 21.06.2019 को जिला से उपावंटन प्राप्त हुआ था। उपावंटन प्राप्त होने के पश्चात तत्कालीन पंचायत सचिव श्री राम का सेवा पुस्त जिला लेखा पदाधिकारी को सत्यापन हेतु दिनांक 03.07.2019 को भेजा गया था, जो दिनांक 06.07.2019 को सत्यापनोपरान्त वापस प्रखंड को प्राप्त हुआ। इसी बीच पिछले चार माह से वेतन नहीं मिलने के कारण प्रखंड के अन्य चार पंचायत सचिव तथा एक आदेशपाल द्वारा वेतन की मांग की गयी। मानवता के आधार पर तथा लेखा पदाधिकारी, सिवान द्वारा श्रीराम के सेवा पुस्त सत्यापन एवं वापस आने तक श्री राम सहित सभी कर्मियों को वेतन दे दिया।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री पासवान का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री लालबाबु पासवान, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरौली, सिवान, सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण को भविष्य के लिये सचेष्ट किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री लालबाबु पासवान के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

27 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (द०) दर०-09/2016-542881--श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी, हनुमाननगर-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, हायाघाट, दरभंगा के विरुद्ध वर्ष 2016 के प्रखंड हनुमाननगर के पंचायत मोरो के मुखिया पद के चुनाव हेतु मतगणना में अनियमितता बरतने के आरोप पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-145 दिनांक 18.12.2017 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री प्रेम कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सम्पूर्ण मतगणना की प्रक्रिया जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-1252 दिनांक 31.05.2016 के आलोक में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी, प्रेक्षक महोदय तथा पुनर्मतगणना के समय उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष की गयी। मतगणना के उपरांत किसी भी प्रकार की शिकायत किसी भी स्तर पर नहीं की गयी। आवेदिका (अभ्यर्थी) के द्वारा पुनर्मतगणना के अनुरोध पर मतदान केन्द्र संख्या-1,2,3,4,5,7,14,15 एवं 16 पर प्राप्त आपत्ति के आलोक में इन टेबुलों की गणना पहले की गयी, परंतु परिणाम बराबर आ रहा था। गणना की निरंतरता में ही आवेदिका के अभ्यावेदन द्वारा किये गये अनुरोध पर सभी बुथों की गणना कर दी गयी।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा से मंतव्य प्राप्त किया गया। उक्त मंतव्य में यह उल्लेख किया गया है कि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-4172 दिनांक 12.10.2016 में पुनर्मतगणना के संबंध में किसी विशेष पद के लिये दिये गये निदेश का श्री कुमार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को 'स्वीकार योग्य नहीं' प्रतिवेदित किया गया। श्री कुमार के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित आरोप, स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी।

समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, दरभंगा के मंतव्य से सहमत होते हुये श्री कुमार के द्वारा निर्वाचन कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये इन्हें चेतावनी का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अतएव श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी, हनुमाननगर-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, हायाघाट, दरभंगा सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलछी, पटना को 'चेतावनी का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री प्रेम कुमार के चारित्री पुस्तिका/सेवा पुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

6 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (तिरहुत) प०च०-02/2020-553162--श्री चंदन कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंझौलिया, पश्चिम चम्पारण के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए प्रथम किस्त का भुगतान लंबित रखने, आवास योजना के दैनिक अनुश्रवण तथा आवास निर्माण हेतु लाभुकों को प्रेरित करने संबंधित दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन नहीं करने, प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत लक्ष्य पुरा नहीं करने, पूर्व से इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत स्वीकृत आवासों की पूर्णता की समुचित ध्यान नहीं देने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत प्राप्त जन शिकायतों से संबंधित मामलों की जांच कर निर्धारित समय अवधि में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने, बार-बार दिए गए निदेश के उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय

सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभुकों को लाभान्वित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं करने, राज्य सरकार के सात निश्चय योजनाओं में सम्मिलित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत निर्मित शौचालयों का प्रोत्साहन राशि का भुगतान अत्यधिक संख्या में विभागीय निर्देशों के प्रतिकूल लंबित रखने एवं जिला स्तर से वरीय पदाधिकारियों के द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर ससमय उपलब्ध करने एवं दिये गये निदेशों का भी ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक-49 दिनांक 17.02.2020 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 3732 थी तथा इसके विरुद्ध 3698 लाभुकों को प्रथम किस्त प्रदान किया गया। 357 लाभुकों को लाल तथा उजला नोटिस दिया जा चुका है। जिन लाभुकों ने राशि प्राप्त कर भी आवास का निर्माण नहीं कराया है उन्हें लाल, उजला तथा अंतिम स्मार पत्र निर्गत किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या-2461। प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों की कुल संख्या- 2304। शेष बचे 157 लाभुकों का breakup इस प्रकार है 11 लाभुक अयोग्य थे अतः एकाउंटेंट के स्तर से इसका FTO Genetate नहीं किया गया। 57 लाभुकों का account PFMS से verify नहीं किया गया। 82 आवास सहायकों स्तर लंबित था।

श्री कुमार के विरुद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में उदासीनता बरता गया है। जियो टैगिंग से संबंधित कार्य को ससमय पूरा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत योग्य लाभुकों का नाम प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है। इनके द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन में उदासीनता बरती गई है। सात निश्चय योजना के कार्यान्वयन में भी इनके द्वारा उदासीनता बरती गई है, जिसके कारण प्रखंड में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री चंदन कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंझौलिया, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरहट, जमुई के विरुद्ध लोकहित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री चंदन कुमार के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

6 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (तिरहुत) मुजफ्फरपुर-06/2017-553203--श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्य में लापरवाही बरतने एवं प्राथमिकता सूची चेक स्लिप के साथ उपलब्ध नहीं कराने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-596 दिनांक 26.05.2017 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री सिन्हा के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड स्तर से प्रकाशन सूची का प्राथमिकता निर्धारण का काम आवास सॉफ्ट पर किया जा रहा था तथा प्राथमिकता निर्धारित करते हुए सूची जिला अभिकरण कार्यालय, मुजफ्फरपुर को दिया गया, परंतु जिला से निर्देशित किया गया कि दावा-आपत्ति का जांच का कार्य प्रखंड कार्यालय, मीनापुर के द्वारा किया गया। दावा आपत्ति के आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण इस पर जांच करने में अधिक समय लगा।

श्री सिन्हा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री संजय कुमार सिन्हा के आरोप एवं स्पष्टीकरण के अवलोकन से प्रथम द्रष्टया प्रतीत होता है कि इनके द्वारा जिला स्तरीय आदेशों का अवहेलना किया गया है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत सभी पंचायतों की प्राथमिकता सूची अपलोड करने एवं तदोपरांत जिला स्तर से सत्यापन हेतु चेक स्लिप के साथ जांच प्रतिवेदन जिला अपीलीय कमिटी में निर्णय हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछने पर कोई जबाब भी नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा दिये गये निदेश की अवहेलना की गई जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) (i) (ii) (iii) तथा नियम 3(2) का उल्लंघन है। इस प्रकार इनके द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरता गया है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौराडीह, भागलपुर को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए 'दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने तथा निंदन का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री संजय कुमार सिन्हा के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

6 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) मुज०- 08/2019-553227--श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, हर घर नल का जल एवं हर घर पक्की नाली गली के कार्यान्वयन में लापरवाही के आरोप पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-4742 दिनांक 19.12.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर का स्पष्टीकरण अप्राप्त है ।

श्री कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री अमरेन्द्र कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों का निबंधन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यान्वयन एवं हर घर नल का जल योजना/ हर घर पक्की नाली-गली के कार्यान्वयन में लापरवाही बरती गयी है। यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (i), (ii), (iii) का उल्लंघन है ।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरा, सीतामढ़ी को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए असंचयात्मक प्रभाव से 'तीन वेतन वृद्धि अवरोद्ध करने का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री अमरेन्द्र कुमार के चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

7 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) रोहतास-02/2018-554684--श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकोढ़ीगोला, रोहतास के विरूद्ध लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल का जल एवं नाली-गली संबंधी योजना कार्यों का ससमय निष्पादन में स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-1666 दिनांक 06.08.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जिसमें शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ग्रामीण क्षेत्र भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि में अकोढ़ीगोला प्रखंड की स्थिति रोहतास जिला के सभी 19 प्रखंडों की स्थिति से बेहतर है ।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत 2 अक्टूबर, 2014 से 2 अक्टूबर, 2019 के बीच कुल पांच वर्षों में शौचालय का निर्माण करना है और शत प्रतिशत निर्माण के उपरांत जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर ही भुगतान किया जाना है, जिसमें जिओ टैगिंग, शौचालय का भेरीफिकेशन आदि कार्य प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के द्वारा किया जाना था न कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा । वर्ष 2018 के मई और जून माह में पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद इनके खिलाफ शाजिस के तहत सभी फर्जी दस्तावेजों का निर्माण किया गया ।

श्री कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा स्पष्टीकरण के साथ कोई ठोस साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है । अपने पदस्थापन काल में प्रखंडन्तर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल का जल एवं नाली गली योजना के कार्यान्वयन में उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है । इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना भी किया गया है । अतः इनका आचरण सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विरूद्ध है । इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकोढ़ीगोला, रोहतास सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनभद्रवंशी सूर्यपुर, अरवल को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए असंचयात्मक प्रभाव से 'दो वेतन वृद्धि अवरोद्ध करने तथा निंदन का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सुशील कुमार के चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

7 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) भोजपुर-01/2020-554711--श्री सुशील कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा, भोजपुर, आरा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक 493 दिनांक 17.03.2020 द्वारा गठित आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में श्री सुशील कुमार के विरूद्ध पंचायत उप निर्वाचन-2020 में रिक्ति का गलत एवं भ्रामक सूचना देने तथा उसी के आधार पर रिक्ति एवं प्रपत्र-V में निर्गत अधिसूचना का मिलान किये बगैर तथा त्रुटि के संदर्भ में जिला पदाधिकारी को अवगत किये बिना ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण कराने से संबंधित आरोप जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के द्वारा प्रतिवेदित है।

जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सुशील कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। आरोप पत्र में संधारित आरोपों एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आरोप पत्र में धारित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उक्त के आलोक में आरोप की गहन जाँच हेतु श्री सुशील कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-367667 दिनांक 22.01.2021 कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय ज्ञापांक-474651 दिनांक 28.06.2021 के द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार का लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा किया गया। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में चूक हुई है। अतः इनका लिखित अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः प्रस्ताव है कि श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा, भोजपुर, सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेरियाबरियारपुर, बेगुसराय के विरूद्ध लोकहित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए उनके विरूद्ध चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

चेतावनी के दंड की प्रविष्टि श्री कुमार के सेवा पुस्त में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2021

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2020 सा०प्र०-9336—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक अररिया जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सूची						
क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द०प्र०सं० 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/ अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	समाहरणालय, अररिया के ज्ञापांक-1761 दि० 14.08.2021 के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	19.08.2021	विधि व्यवस्था (मुहर्रम पर्व, 2021)	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	अररिया

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।

मूह विभाग (आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं 8 सितम्बर 2021

सं० 1/एल०1-10-05/2010-गृ०आ०-6775—श्री अमित कुमार, भा०पु०से० (1994), अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा के आधार पर अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-12 एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 02.05.2021 से दिनांक 31.05.2021 तक कुल 30 (तीस) दिनों के रूपांतरित (30 X 2 = 60 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

11 अगस्त 2021

सं० 1/एल०1-10-03/2009-गृ०आ०-5804—श्री जितेन्द्र कुमार, भा०पु०से० (1993), अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 09.08.2021 से दिनांक 07.09.2021 तक 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश [दिनांक 07/08.08.2021 (शनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Prefix सहित] की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार, भा०पु०से० (1993), अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना, श्री कुमार द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

24 अगस्त 2021

सं० 1/एल०1-10-13/2019-गृ०आ०-6266—श्री विकास बर्मन, भा०पु०से० (2008), पुलिस अधीक्षक, रेलवे, पटना को बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत दिनांक 31.03.2021 से 12.04.2021 तक कुल 13 दिनों के आकस्मिक/अनुमति अवकाश को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-19 के तहत परिवर्तित करते हुए उक्त अवधि हेतु उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

31 अगस्त 2021

सं० 1/एल०1-10-16/2009-गृ०आ०-6526—श्रीमती प्रेमलता, भा०पु०से० (2006), पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली 1955 के नियम 18 (D), के अन्तर्गत दिनांक 01.09.2021 से 31.12.2021 तक कुल 122 (एक सौ बाईस) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

23 अगस्त 2021

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-I गृ०आ०-6237—श्री जितेन्द्र मिश्रा, भा०पु०से० (2004), पुलिस उप महानिरीक्षक—सह—उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

9 सितम्बर 2021

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ०आ०-6916—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :—

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री सागर कुमार, भा०पु०से० (2018)	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण	सहायक समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-03, बोधगया
2.	श्री पूरण कुमार झा, भा०पु०से० (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर, भागलपुर	सहायक समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-15, बगहा
3.	श्री वैभव शर्मा, भा०पु०से० (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक, दरभंगा	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना
4.	श्री सैयद इमरान मसूद, भा०पु०से० (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), मुजफ्फरपुर	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर, पटना
5.	श्रीमती नवजोत सिमी, भा०पु०से० (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक, पटना	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी, रोहतास
6.	श्री अमित रंजन, भा०पु०से० (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक, रोहतास	सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर, पटना
7.	श्री हिमांशु, भा०पु०से० (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, आरा सदर
8.	श्री अरविन्द प्रताप सिंह, भा०पु०से० (2018)	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, पटना
9.	श्री रौशन कुमार, भा०पु०से० (2019)	सहायक पुलिस अधीक्षक, गया	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल
10.	श्री अवधेश दिक्षित, भा०पु०से० (2019)	सहायक पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज, पटना
11.	श्री भरत सोनी, भा०पु०से० (2019)	सहायक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर	सहायक पुलिस अधीक्षक (विधि—व्यवस्था), गया
12.	श्री राज, भा०पु०से० (2019)	सहायक पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमराँव, बक्सर
13.	श्री चन्द्र प्रकाश, भा०पु०से० (2019)	सहायक पुलिस अधीक्षक, नवादा	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण
14.	श्री अभिनव धिमन, भा०पु०से० (2019)	सहायक पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरेराज, मोतिहारी

15.	श्री शुभम आर्य, भा0पु0से0 (2019)	सहायक पुलिस अधीक्षक, पटना	सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर, भागलपुर
16.	श्रीमती काम्या मिश्रा, भा0पु0से0 (2019)	सहायक पुलिस अधीक्षक, वैशाली	सहायक पुलिस अधीक्षक, सचिवालय, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

9 सितम्बर 2021

सं0 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ0आ0-6917—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री आलोक राज, भा0पु0से0 (1989)	महानिदेशक, प्रशिक्षण, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना	महानिदेशक, प्रशिक्षण, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना
2.	श्री विनय कुमार, भा0पु0से0 (1991)	अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	अपर पुलिस महानिदेशक, विधि-व्यवस्था, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— अपर पुलिस महानिदेशक, प्रोविजनिंग, बिहार, पटना
3.	श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार, भा0पु0से0 (1993)	अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना	अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना
4.	श्री जितेन्द्र कुमार, भा0पु0से0 (1993)	अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना	अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— अपर पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना
5.	श्री नैयर हसनैन खान, भा0पु0से0 (1996)	अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— अपर पुलिस महानिदेशक, प्रोविजनिंग, बिहार, पटना	अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना
6.	श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (1996)	अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना	अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

9 सितम्बर 2021

सं0 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ0आ0-6932—केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत सीमा सुरक्षा बल में अपर पुलिस महानिदेशक (वेतन स्तर-15) के पद पर पदग्रहण की तिथि से 04 वर्षों की अवधि या दिनांक 30.09.2025 तक, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री राजविंदर सिंह भट्टी, भा0पु0से0 (BH:1990), सम्प्रति महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना को वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जाती हैं।

2. श्री राजविंदर सिंह भट्टी को निदेश दिया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक—I-21019/02/2021-IPS.III, दिनांक 31.08.2021 द्रष्टव्य।)
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

9 सितम्बर 2021

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ०आ०-6933—केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुलिस महानिरीक्षक (वेतन स्तर-14) के पद पर पदग्रहण की तिथि से 05 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री अमित कुमार, भा०पु०से० (BH:1994), सम्प्रति अपर पुलिस महानिदेशक, विधि-व्यवस्था, बिहार, पटना को वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जाती हैं।

2. श्री अमित कुमार को निदेश दिया जाता है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक—I-21017/02/2020-IPS.III, दिनांक 09.08.2021 द्रष्टव्य।)
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

24 अगस्त 2021

सं० 1/पी०४-02/2020 गृ०आ०-6294—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वरीय समय वेतनमान [वेतन संरचना का वेतन स्तर-11 (रु० 67,700-2,08,700/-)] में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	बैच आवंटन वर्ष	प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री अमितेश कुमार, भा०पु०से०	2016	विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि 18.02.2021 के प्रभाव से।
2.	श्री किरण कुमार गोरख जाधव, भा०पु०से०	2016	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से।
3.	श्री अम्बरीष राहुल, भा०पु०से०	2017	विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि 15.03.2021 के प्रभाव से।

2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

13 सितम्बर 2021

सं० 7/सी०सी०ए०-1024/2001(खंड-II)गृ०आ०-7004—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) के अध्याय-2 की धारा-12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा-12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-3662, दिनांक 09.06.2021 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् दिनांक 01.10.2021 से 31.12.2021 (एक अक्टूबर दो हजार इक्कीस से एकतीस दिसम्बर दो हजार इक्कीस) तक प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 22—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं0 881—मैं, अर्पित कुमार अग्रवाल, पिता विजय अग्रवाल, साकिन-अमला टोला वार्ड नंबर 30, पोस्ट कटिहार, थाना-नगर सदर, कटिहार, जिला-कटिहार (बिहार), शपथ पत्र संख्या 35, दिनांक 06.04.2021 के आधार पर घोषणा करता हूँ कि मैं अब अर्पित अग्रवाल के नाम से जाना पहचाना जाऊँगा। यह सभी कार्य हेतु मान्य है।

अर्पित कुमार अग्रवाल।

No. 881—I, ARPIT Kumar Agrawal, S/o Vijay Agrawal, At. Amla Tola, Ward No. 30, P.o.-Katihar P.s.-Nagar Sadar, Distt.-Katihar (Bihar), as declare vide Affidavit No. 35, dated 06.04.2021, Now I will be known as Arpit Agrawal. This is use for all purpose.

ARPIT Kumar Agrawal.

सं0 882—मैं रुही फरहत, जन्म तिथि-21.05.1969, पिता-स्व0 अब्दुल हलीम, पति-श्री अब्दुल कादिर, निवासी-H/169, न्यू मिल्लत कॉलनी, फेज-2, स्टेशन रोड फुलवारीशरीफ, पो0+थाना-फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार शपथ पत्र सं0 4922, दिनांक 07.08.2021 द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं रुही फरहत नसीम एवं रधी फरहत (RDHI FARHAT) के नाम से भी जानी और पहचानी जाती हूँ जैसा कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अंकित है। रुही फरहत, रुही फरहत नसीम एवं रधी फरहत सभी एक ही व्यक्ति का नाम है, जो मैं ही हूँ। भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मैं रुही फरहत के नाम से जानी जाऊँगी।

रुही फरहत।

No. 882—I, Roohi Farhat, DoB 21.05.1969, D/o Late. Abdul Halim, W/O Sri Abdul Quadir, R/o-169, New Millat Colony, Phase-2, Station Road Phulwarisharif, Patna, Bihar, Hereby declare vide Afdvt. No 4922 Dt. 07.08.2021 That I am also known as Roohi Farhat Nasim & RDHI FARHAT as written in my educational certificates. Roohi Farhat, Roohi Farhat Nasim & RDHI FARHAT all are same and one person who is myself. Now I shall be known as Roohi Farhat for all my future purposes.

Roohi Farhat.

सं0 883—मैं रिकू कुमारी, पति शंकर कुमार सिंह, साकिन-बरमसिया महंथनगर, पोस्ट कटिहार, थाना-सहायक कटिहार, जिला-कटिहार, बिहार, शपथ पत्र संख्या 1596 दिनांक 04.02.2021 के आधार पर घोषणा करती हूँ कि मेरे पति जल सेना से सेवानिवृत्त हैं। उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रिकू सिंह लिख दिया गया है। जो गलत है। मेरा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज में मेरा नाम रिकू कुमारी है जो सही है। यह सभी कार्य हेतु मान्य है।

रिकू कुमारी।

सं0 884—मैं, विवेक पिता-राज कुमार झा, निवासी मुहल्ला-रामबाग चौड़ी स्थित "चन्द्रकुटी" नामक मकान, पोस्ट-रमना, थाना-मिठनपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर, अनुमंडल दण्डाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के समक्ष लिये गये शपथ के आधार पर उनके स्तर से जारी शपथ-पत्र संख्या-18152, दिनांक-25.03.2021 के आधार पर मैं अब "विवेक शांडिल्य" के नाम से जाना जाऊँगा।

विवेक।

No. 884--I, Vivek, S/o- Raj Kumar Jha, Resident of "Chandra kuti" situated in Mohalla-Rambagh chauri, P.O.-Ramna, P.S.-Mithanpura, District-Muzaffarpur has changed my name & in this regard I take my oath before the Sub-Divisional Magistrate, East, Muzaffarpur through Affidavit No-18152 dated 25.03.2021 & thereby now my name will be "Vivek Shandilya" for all purposes.

Vivek.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 22—571+10—डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) पटना- 03/2019-543117
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

27 अगस्त 2021

श्री दिनबंधु दिवाकर, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना के विरुद्ध करनौती पंचायत में बाढ़ राहत चेक वितरण में बिना जाँच किये बगैर अपात्र व्यक्तियों (अविवाहित/अवयस्क, पति/पत्नी) को राहत चेक का वितरण करने एवं चेक वितरण में आपदा प्रबंधन के नियमों का अनुपालन नहीं करने के संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 766 दिनांक 19.06.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री दिनबंधु दिवाकर से स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण प्राप्त है। आरोप पत्र में संधारित आरोपों एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की गहन जाँच हेतु श्री दिनबंधु दिवाकर के विरुद्ध संकल्प संख्या-454577 दिनांक 05.01.2020 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें श्रीमती कनकबाला, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया गया था। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन न कर वापस कर दिया गया है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री दिनबंधु दिवाकर, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले, दरभंगा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राधा किशोर झा, सूचीबद्ध संचालन पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा नामित पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री दिनबंधु दिवाकर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरुगन डी०, सचिव।

सं० 27/आरोप-01-40/2019-सा०प्र०-9798
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

2 सितम्बर 2021

श्री मुकुल कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-875/2011, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, काशीचक, नवादा के विरुद्ध ईंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-302594 दिनांक 03.03.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-11236 दिनांक-14.08.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री कुमार के पत्रांक-01(नि0) दिनांक-27.08.2019 से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8312 दिनांक 21.06.2019 द्वारा कंडिकावार सुस्पष्ट मंतव्य हेतु ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया गया।

3. उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-346032 दिनांक 29.12.2020 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक-1174 दिनांक 28.01.2021 द्वारा श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर स्पष्ट बिन्दुवार एवं आधार सहित विस्तृत मंतव्य की मांग ग्रामीण विकास विभाग से की गयी।

4. ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-512548 दिनांक 04.08.2021 द्वारा मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“श्री मुकुल कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में तीन मामलों में एक ही व्यक्ति को इंदिरा आवास का दोहरा लाभ प्रदान करने का आरोप धारित है। उक्त आरोप पर श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि उक्त तीन मामलों में दो में आवास का दोहरा लाभ नहीं दिया गया। जबकि तीसरे मामले में श्री कुमार के उत्तराधिकारी श्री शिवनाथ ठाकुर के कार्यकाल में योजना संख्या-19/2011-12 में दोहरा भुगतान किया गया है। श्री ठाकुर का पैतृक विभाग सहकारिता विभाग है। इन पर विभागीय कार्रवाई हेतु सभी कागजात इनके पैतृक विभाग को भेजा जा चुका है।”

5. ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री मुकुल कुमार के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं एवं आरोप से संबंधित अन्य पदाधिकारी श्री शिवनाथ ठाकुर (सहकारिता सेवा) के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सहकारिता विभाग को भेजा जा चुका है।

6. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त आरोप, श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण, श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री मुकुल कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-875/2011, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, काशीचक, नवादा को आरोप मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मुकुल कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-875/2011, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, काशीचक, नवादा को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 27/आरोप-01-22/2020-सा0प्र0-9910

3 सितम्बर 2021

मो. कबीर, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 984/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी.एस.), मुजफ्फरपुर के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1430 दिनांक 26.02.2020 द्वारा आरोप इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-3040 दिनांक 04.03.2021 एवं पत्रांक-4612 दिनांक 07.04.2021 द्वारा मो. कबीर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो. कबीर द्वारा दिनांक 15.04.2021 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कंडिकावार/आरोपवार स्थिति स्पष्ट की गयी।

4. समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं मो. कबीर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त मो. कबीर के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुये तथा प्रतिवेदित आरोपों के लिये उन्हें दोषी मानते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित के नियम-14 के अंतर्गत लघु दंड के अंतर्गत **“(i) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं (ii) निन्दन”** का दण्ड देने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो. कबीर, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 984/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी.एस.), मुजफ्फरपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित के नियम-14 के अंतर्गत लघु दंड के अंतर्गत **“(i) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं (ii) निन्दन”** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध मो0 कबीर द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया गया है, जिसमें पारित आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

मो0 कबीर से प्राप्त पुनर्विलोकन आवेदन तथा उपलब्ध अभिलेखों की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि उनके द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है अथवा कोई ऐसा तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विचारणीय हो।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विचारोपरान्त मो. कबीर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 984/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी.एस.), मुजफ्फरपुर के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7201 दिनांक 16.07.2021 द्वारा अधिरोपित दंड यथा **“(i) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं (ii) निन्दन”** की शास्ति को यथावत् रखा जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं० 27/आरोप-01-41/2019-सा०प्र०-9911

3 सितम्बर 2021

श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 472/2011, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, गया के पदस्थापन अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं अन्य योजनाओं के खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों के परिवहन के लिए परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता (मुख्य) के रिक्तियों के चयन हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रकाशित निविदा को बिना तकनीकी भाग पर जिला परिवहन समिति की समीक्षा एवं निर्णय के वित्तीय भाग को ओपन कर पब्लिक डोमेन में अनियमितता बरतने के लिये आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ (साक्ष्य एवं प्रदर्श सहित) गठित कर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया एवं इसकी एक प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध कराया गया।

श्री कृष्ण मोहन प्रसाद के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत आरोपों की बृहद् जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5219 दिनांक 03.06.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण मोहन प्रसाद दिनांक 31.08.2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 472/2011, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, गया के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त दिनांक-01.09.2021 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्पत्तिवर्तित किया जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं० कारा/नि०को०(मुक०)-09-02/2018-7906

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

6 सितम्बर 2021

श्री मोती लाल, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बेनीपट्टी के विरुद्ध प्रावधान के विपरीत कारा के अन्दर बाहरी कारीगर को बुलाकर विशेष प्रकार के पकवान बनवाने, काफी बड़ी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के जेल में प्रवेश कराने, जेल की महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नियमानुसार नहीं करने, प्रावधान के विपरीत संसीमित बंदी राजबल्लभ यादव को देय सुविधाओं के विपरीत अतिरिक्त सुविधाएँ मुहैया कराने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र ‘क’ में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

2. विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 द्वारा श्री मोती लाल, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 (ix) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

“अनिवार्य सेवानिवृत्ति”।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3786 दिनांक 17.07.2017 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री मोती लाल द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री मोती लाल के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5738 दिनांक 06.10.2017 द्वारा श्री मोती लाल के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

4. उपर्युक्त दंडादेश एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी आदेश के विरुद्ध श्री मोती लाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-620/2018 दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 एवं 5738 दिनांक 06.10.2017 को निरस्त कर दिया गया।

5. उपरोक्त न्यायादेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में L.P.A No.-1661/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 02.01.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 945 दिनांक 04.02.2019 द्वारा संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 एवं 5738 दिनांक 06.10.2017 को निरस्त करते हुए श्री मोती लाल को सेवा में पुनर्स्थापित किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(5) के तहत श्री मोती लाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि 17.07.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलम्बित किया गया तथा निलम्बनावस्था में उनका मुख्यालय मंडल कारा, हाजीपुर पूर्व की भांति यथावत् रखा गया। साथ ही उनके विरुद्ध पूर्व में संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक 1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा संसूचित) को पुनः आरम्भ किया गया, जिसके संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को पूर्व की भांति यथावत् रखा गया।

6. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-456 अनु0 दिनांक-17.07.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या-1, 2, 3, 4, 6 एवं 8 को अंशतः प्रमाणित, आरोप संख्या-05 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या-07 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

7. उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1471 दिनांक 17.02.2021 द्वारा श्री मोतीलाल के विरुद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया :-

(i) देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच (05) वर्षों तक रोक।

(ii) संचयात्मक प्रभाव के साथ पाँच (05) वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड।

8. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1471 दिनांक 17.02.2021 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री मोती लाल द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि जहाँ तक आरोपों का संबंध है सभी आरोप एकपक्षीय है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा उनके विरुद्ध आठ आरोप लगाये गये। संचालन पदाधिकारी आरोप संख्या-7 को अप्रमाणित, आरोप संख्या-1, 2, 3, 4, 6 एवं 8 को आंशिक रूप से प्रमाणित और आरोप संख्या-5 को प्रमाणित माने हैं। उनका कहना है कि कारा अधीक्षक के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक कर्मचारी के साथ हर समय उपस्थित रहकर देखता रहे कि गेट रजिस्टर में ठीक समय पर प्रविष्टि कर रहा है या नहीं इत्यादि। उनका कहना है कि वस्तुतः उस दिन मीट ही आया था और जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा पूछे जाने पर मीट ही कहा गया। इस

बात को Misconduct की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, बल्कि इसे Innocent Mistake ही कहा जा सकता है। यदि गलती से मीट की जगह चिकेन कहा भी गया होगा तो उससे न किसी को हानि हुई और न ही लाभ ही हुआ है। इसके पीछे उनकी नीयत में भी कोई खोट नहीं पायी गयी है। अतः यह बिन्दु भी निराधार है। इससे किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता भी नहीं हुई है।

श्री मोती लाल का कहना है कि उनके द्वारा कारा की विधि-व्यवस्था पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया था, क्योंकि कारा एक संवेदनशील संस्थान है और इसमें विधि-व्यवस्था को नियंत्रित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है। उनका कहना है कि वैसे उनके विरुद्ध पाँच वेतन वृद्धियाँ देय तिथि से संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड पारित किया गया है जिसका अर्थ है पाँच वेतन वृद्धियाँ वे हमेशा के लिए खो देंगे, जो आर्थिक रूप से उनके पूरे सेवा काल को प्रभावित करेगी। इस आरोपित दण्ड का प्रभाव सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ेगा और उनका पूरा परिवार आर्थिक संकट झेलता रहेगा। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य किया है।

9. श्री मोती लाल के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री लाल द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कोई नई बात नहीं कही गई है बल्कि उन्हीं बातों को पुनः उद्धृत किया गया है, जिसे उन्होंने पूर्व में अपने बचाव अभिकथन/अभ्यावेदन में इंगित किया गया था। श्री लाल के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्री लाल के विरुद्ध कारा के महत्वपूर्ण पंजियों का नियमानुसार संधारण नहीं किये जाने एवं भारी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के कारा में प्रवेश कराने के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री लाल को “देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच (05) वर्षों तक रोक” तथा “संचयात्मक प्रभाव के साथ पाँच (05) वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड” अधिरोपित किया जा चुका है।

10. श्री मोती लाल, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बेनीपट्टी के विरुद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 22—571+10—डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>